फर्द अहकाम

न्यायालय : विशिष्ठ न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम केसेज (सैशन न्यायाधीश) दौसा

उनवान : सरकार बनाम जय कुमार वगैरहा

किस्म मुकदमा : सैशन प्रकरण संख्या– 08 / 2025

सीएनआर नंबर : RJDS010001382025

(एफआईआर नम्बर 85 / 2024 पुलिस थाना लवाण जिला दौसा अंतर्गत धारा 8 / 20, 8 / 29, 8 / 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
15.07.2026	श्री गोपाल लाल शर्मा, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित। अभियुक्तगण जयकुमार व श्यामसिंह वर जमानत असालतन मय विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा उपस्थित। अभियुक्त रवि कुमार वर जमानत उपस्थित नहीं, जिसकी हाजिरी माफी का आवेदन जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा पेश हुआ, जो केवल आज के लिये स्वीकार किया जाता है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह फतेह सिंह उपस्थित है, जिसकी साक्ष्य बतौर पी.डब्ल्यू–5 लेखबद्ध की गई, जो पूर्ण हुई। गवाह को रूखसत किया गया। विद्वान लोक अभियोजक ने गवाह संख्या 9 अनिल कुमार को तर्क किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में पूर्व नियत पेशी दिनांक 20.07.2026 को पेश हो। [illegible] 15/7/26 सैशन न्यायाधीश दौसा (राज०)	श्यामसिंह जयकुमार (विक्रम शर्मा) फतेह सिंह (गवाह)